मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2007—श्रावण 26, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्र. 5081-332-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २००७

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००७.

[दिनांक 16 अगस्त, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 17 अगस्त, 2007 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००७ है.

(२) इस अधिनियम की धारा ३ (एक) का उपबंध दिनांक ३ जून, २००६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा इस अधिनियम के शेष उपबंध राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ख) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२), (३) और (४)" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) के परन्तुक में, खण्ड (तीन) के उपखण्ड (क) और (ख) में, शब्द "मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल" के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश ऊर्जा व्यापार (ट्रेडिंग) कम्पनी लिमिटेड" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए और उपधारा (३), (४) तथा (५) को क्रमशः उपधारा (२), (३) तथा (४) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (१) और (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (१)" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द तथा अंक "धारा ४ से ९" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा ३-ख से ९" स्थापित किये जाएं.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्र. 5082-332-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुम[illegible], सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 22 of 2007

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2007.

[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th August, 2007]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh L[illegible] of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

(2) The provision of section 3 (i) of this Act shall be deemed to have come into force from 3rd June, 2006 and the remaining provisions of this Act shall come into force from the da[illegible] of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (hereina[illegible]ter referred to as the principal Act), in clause (b), for the words, bracket and figures "sub-secti[illegible] (2) of section 3", the words, brackets and figures "sub-sections (2), (3) and (4) of section 3" sh[illegible] be substituted.

Amendment of Section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(i) in the proviso to sub-section (1), in sub-clauses (a) and (b) of clause (iii), the words "Madhya Pradesh State Electricity Board", the wo[illegible] "Madhya Pradesh Power Trad[illegible] [illegible]mpany L[illegible] shall be substituted;

(ii) sub-section (2) shall be deleted and sub-section (3), (4) and (5) shall respectiv[illegible] be renumbered as sub-section (2), (3) and (4) and in sub-section (2) as renumbered, for the words, brackets and figures "sub-section (1) and (2)" words, bracket and figure "sub-section (1)" shall be substituted;

Amendment of Section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for the words and figures "sections 4 to 9", the wo[illegible] figures and letter "sections 3-B to 9" shall be substituted;